मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र./3633 / NR-4/03/25/10–11 / भोपाल, दिनांक 14/04/10

प्रति,

कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त .....(म.प्र.)

विषयः– **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म0प्र0 के अन्तर्गत प्रशासकीय व्यय के संबंध में।**

संदर्भः– प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रं–12087 दिनांक 05.09.2009.

———000———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रशासकीय व्यय अन्तर्गत मुख्य रूप से किये जाने वाले तथा न किये जाने वाले व्ययों एवं उनसे संबंधित शीर्षों के संबंध में आपको अवगत कराया गया था, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्य थेः–

(1) आवश्यकता एवं औचित्य का विशलेषण।

(2) भण्डार क्रय नियमों का पालन।

(3) सक्षम वित्तीय स्वीकृतियाँ।

(4) अनावश्यक रूप से केन्द्रीयकृत खरीदी करना।

(5) अन्य योजनाओं का अथवा नियमित कार्यालयीन व्यय प्रशासनिक व्यय पर भारित न किये जायें।

(6) वाहनों का उपयोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/नियमों के अनुसार किया जावे।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए जिलों के प्रशासकीय व्यय की सीमा मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कर जिलों को सूचित किया गया है। प्रशासकीय व्यय निर्धारित सीमा में ही किया जाये एवं स्पष्ट रूप से ध्यान रखा जाना है कि समानुपातिक योजना व्यय भी जिले द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

निरंतर 2.....

यह अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाये, कि प्रशासनिक व्यय करने के पूर्व आवश्यकता, औचित्य, विशलेषण एवं सुविचारण कर ही आगामी कार्यवाही नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा संपादित की जाये।

आप सहमत होंगे कि राष्ट्र की महत्वाकांक्षी योजना का मध्यप्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं प्रशासनिक व्यय के संबंध में परिलक्षित हुई विसंगतियाँ/वित्तीय अनियमितताओं से जिले एवं संभाग तथा अंततः शासन की छवि धूमिल होती है। हाल ही में प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण न रख पाने की स्थितियाँ जिलों में उत्पन्न हुई हैं एवं जिलों के वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में अप्रिय स्थितियों का सामना कर रहे हैं । अतः इस संबंध में आपको व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हुए सतत् नियंत्रण एवं निगरानी रखते हुए योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र./3634 / NR-4/03/25/10–11 / भोपाल, दिनांक 14/04/10

प्रतिलिपि,

1. संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल